बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

पत्रांक: 423   दिनांक : 05/06/2023

सं०सं०: BI-558/48/2021-SECTION 1-BRDS-BRDS

प्रेषक

संजय कुमार सिंह,
मुख्य परिचालन पदाधिकारी।

सेवा में,

कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रखण्ड-विक्रम,
पटना।

विषय:- **महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में Labour Engagement औसत से कम किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत Daily Engagement of Workers की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 22 मई 2023 को राज्य में कुल 17.21 लाख मजदूरों के लिए ई-एम आर निर्गत किया गया था तथा इस प्रकार उक्त तिथि को Daily Engagement of Workers का प्रति पंचायत औसत 213 पाया गया । राज्य अंतर्गत कुल 10 प्रखंड ऐसे पाए गए जहाँ प्रति पंचायत कार्यरत मजदूरों का औसत 50 से भी कम पाया गया ।

ज्ञातव्य हैं कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में मनरेगा अंतर्गत प्रति दिन प्रति पंचायत न्यूनतम 200 मजदूरों की काम की मांग पंजीकृत कर उन्हें कार्य उपलब्ध कराते हुए हेतु eMR निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाकर अनुपालित किये जाने का निदेश दिया गया था परन्तु उक्त के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में आपके प्रखंड की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी । उक्त तिथि को आपके प्रखंड का Daily Engagement of Workers प्रति पंचायत 35 पाया गया जबकि आपके जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर यह औसत क्रमशः 150 तथा 213 था ।

यह स्पष्टतः महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मजदूरों को काम उपलब्ध कराये जाने के प्रति आपकी लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक हैं ।

अतः आपको निदेश दिया जाता हैं कि इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अपने जिला पदाधिकारी -सह -अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरीय पदाधिकारियों के निदेश के अनुपालन के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाय । स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की अनुशंसा कर दी जायेगी ।

विश्वासभाजन,

5/6/2023

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य परिचालन पदाधिकारी।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।